



भारत सरकार/खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
दुसरी मंजील, जी.एस.आई. फिल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स,
पोस्ट- विधानसभा, रायपुर (छ.ग.) पिन-492005, फोन नं.-0771-2282530,2285590/95
ईमेल-ro.raipur.ibm@gmail.com

Date: 27-06-2018

No. CHG/BBR/LST
सेवा में,

श्री डी. के. मेहता, (खान एजेन्ट)
मेसर्स जे0 के0 लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
ग्राम- मालपुरी खूर्द, खासाडीह,
पो0- अहीवारा, जिला- दूर्ग,
छत्तीसगढ़-490036

Shri D K Mehta
Address: J K Lakshmi Cement Ltd
Vill : Malpuri Khurd,Khasadih,
PO- Ahiwara , Dist- Durg.
Chhattishgarh-490036

Email-dkmehta@durg.jkmail.com / blbhati@durg.jkmail.com

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के दूर्ग जिले में स्थित आपकी जे. के. लक्ष्मी सीमेंट चूनापत्थर खदान, (252.105 हे०) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।
महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 13.06.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11 (1)	Mining Operation are not being carried out in accordance with the Mining plan approved vide No DRG/LST/MPLN-52/2016/RPR/403 dated: 23/09/2016 i) Afforestation: There was a proposal given for plantation of 2000 nos of plants during Second year, whereas none of the plantations have been done
Rule 55	(ii) Whole-time Geologist are not been appointed. Shri Sanjay Arora already working as a whole time Geologist in another lease of 267.695ha (As per office record). Also newly appointed Shri Birendra Kumar Banjare (Mining Engineer) incomplete information given in Form-H.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (4) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर.एन. मिश्रा)
(आर.एन. मिश्रा)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:- (ई-मेल द्वारा)

- 1 खान नियंत्रक, (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

ET

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर